

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19-06-2026

विषय: :- प्रदेश में स्थापित 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (ए०डब्लू०एस०(ए०डब्लू०एस०) तथा 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज (ए०आर०जी०) की स्थापना उपरान्त, प्रथम वर्ष की वारंटी अवधि पूर्ण होने पर फर्म को भुगतान पर होने वाले व्यय के सापेक्ष धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-10119/रा०आ०का०/2026-27, दिनांक 29.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में स्थापित 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (ए०डब्लू०एस०(ए०डब्लू०एस०) तथा 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज (ए०आर०जी०) की स्थापना उपरान्त, प्रथम वर्ष की वारंटी अवधि पूर्ण होने पर फर्म को भुगतान पर होने वाले व्यय के सापेक्ष धनराशि रू० 15,98,84,385/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 24.03.2023 में प्राप्त संसत्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2023 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 19.09.2024 में प्राप्त निर्देशों के दृष्टिगत प्रदेश में 450 ए०डब्लू०एस० एवं 2000 ए०आर०जी० स्थापित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल स्वीकृत धनराशि रू० 14216.38 लाख में से अभी तक भुगतान की गई धनराशि रू० 75,62,81,125/- के उपरान्त, प्रथम वर्ष की वारंटी अवधि पूर्ण होने पर फर्म को भुगतान किये जाने हेतु धनराशि रू० 15,98,84,385/- (रू० पन्द्रह करोड़ अठानबे लाख चौरासी हजार तीन सौ पचासी मात्र) की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र० के नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-1, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सम्बन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 15,98,84,385/- (₹0 पन्द्रह करोड़ अठानबे लाख चौरासी हजार तीन सौ पचासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 19-06-2026
13:49:55

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-658(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

-

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-22/06/2026

प्रेषण संख्या:- 658
आवंटन आदेश संख्या:- 001-658
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	159884385 159884385	159884385 159884385
		वर्तमान प्रगामी	159884385 159884385	159884385 159884385

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-
रूपया पन्द्रह करोड़ अठानवे लाख चौरासी हजार तीन सौ पंचासी
रूपया पन्द्रह करोड़ अठानवे लाख चौरासी हजार तीन सौ पंचासी

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी